# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 08/2015**

**अपीलान्ट**

1. शांतिदेवी पत्नी फताजी जाति रावल निवासी पालडी आर तहसील व जिला सिरोही
2. नर्मदादेवी पुत्री फताजी जाति पत्नी गणेशराम जाति रावल निवासी पालडी आर तहसील व जिला सिरोही

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट :–**

1. श्रीमति हर्षा रावल पुत्र तुलसीराम पत्नी महावीर कुमार जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील सिरोही
2. महावीर कुमार पुत्र गणेशराम जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील व जिला सिरोही
3. रजुदेवी पत्नी गोरीशंकर पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील व जिला सिरोही
4. किशोर कुमार पुत्र गोरीशंकर पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील व जिला सिरोही
5. अशोककुमार पुत्र गोरीशंकर पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील व जिला सिरोही
6. पिन्की पुत्री गौरीशंकर पत्नी सुरेश कुमार जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) हाल पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही
7. मीठालाल पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील सिरोही
8. शिवराम उर्फ सवाराम पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील व जिला सिरोही
9. भोमाराम पुत्र फताजी जाति रावल निवासी पालडी (रामपुरा) तहसील सिरोही हाल सेन्ट्रल जेल सूरत, गुजरात
10. लीला उर्फ लीलु पुत्री प्रेमाजी पत्नी लालाराम जाति रावल निवासी पिपलकी तहसील व जिला सिरोही
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

श्री मोहनसिंह देवड़ा, विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट.

श्री धन्नाराम रेबारी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

श्री प्रकाश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5, 7, 10

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 8 व 9 अनुपस्थित

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 9.5.2018

अपीलांन्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 37/2014 बअनवान शांतिदेवी बनाम हर्षा रावल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.02.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालडी (रामपुरा) के खसरा नम्बर 282, 283, 284 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि आई हुई स्थित है। जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 व 10 का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि पूर्व में मनरूप, प्रेमा, फता पि0 नरसा रावल की खातेदारी की थी। फता पुत्र नरसा फौत होने पर राजस्व अधिकारीयों एवं गौरीशंकर ने मिलकर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया तथा प्रेमा फौत होने पर गौरीशंकर द्वारा केवल मात्र उसकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का नाम दायर करवाया गया, जबकि गौरीशंकर प्रेमाजी का गोदीपुत्र था। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 फताजी के वारिशान होने के कारण उक्त भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 का हक हिस्सा निहित है। फताजी के भाई प्रेमाजी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण फताजी द्वारा अपने पुत्र गौरीशंकर को प्रेमाजी को गोद दिया था तथा गौरीशंकर प्रेमाजी का बतौर गोदीपुत्र की हैसियत से प्रेमाजी के साथ निवास करता था। इस प्रकार गौरीशंकर प्रेमाजी के गोद चले जाने से फताजी के हिस्से की भूमि में गौरीशंकर का कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहा। फताजी का देहान्त होने के पश्चात गोरीशंकर द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही

का नाम राजस्व रेकर्ड में दायर नहीं करवाया तथा फताजी के अन्य वारिशान रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 के साथ गोरीशंकार का नाम दायर कर दिया, जबकि प्रेमाजी का गोदीपुत्र होने के कारण गोरीशंकर का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा शेष नहीं रहा था। उक्त भूमि पर आज भी अपने हिस्से अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 काबिज काश्त है। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के पिता गोरीशंकर व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 9 की फर्जी पॉवर ऑफ अर्टानी तैयार कर उक्त पॉवर ऑफ अर्टानी के जरिये भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा चुका है। उक्त बेचान दस्तावेज को शून्य घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट्स द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष बेचान निरस्त कराने का वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त आराजी को बेचान करने की धमकी दे रहे है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं दौराने वाद बेचान हस्तान्तरण से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं माना तथा प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का मानते हुए खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देते है, तो वाद बाहुल्यता होगी तथा विवाद की स्थिति प्रकट होगी एवं अपीलाण्ट अपने जायज हक हकूकों से महरूम होंगे। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जैर अपील वादस्थ भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान हस्तान्तरण नहीं करने एवं अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि की सद्भावी क्रेता है। इसके पश्चात खातेदारान् द्वारा विभाजन करवाया गया है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि की पृथक से खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा हमारे विरूद्ध फर्जी पॉवर ऑफ अर्टानी तैयार करने का फौजदारी मुकद्दमा किया था, जिसमें एफ0आर0 लगी तथा प्रकरण झूठा पाया गया। इन्होने हमारी भूमि पर अतिक्रमण किया, तो हमने सी0जे0एस0 न्यायालय में प्रकरण दायर करवाया, जिसमें इन्हे दोषी माना हैं। अब मात्र भूमि की कीमत बढने के कारण इनकी नियत में खोट आ गया है, इस कारण मॉ एवं बेटी अर्थात अपीलाण्ट के मार्फत मुकद्दमा करवाया है। पुलिस रिपोर्ट में भी इनका कब्जा नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि अपने पति/पिता फताजी की होने के कारण उक्त भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा कराने का अनुतोष चाहा तथा रेस्पोडेन्ट को दौराने वाद उक्त भूमि के बेचान हस्तान्तरण से रोकने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवेदन किया। राजस्व रेकर्ड के मुताबिक उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने के पश्चात विभाजित होकर खातेदारान् की पृथक पृथक खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त भूमि तथाकथित फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिये बेचान हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/2013 पुलिस थाना सिरोही, अन्तिम रिपोर्ट संख्या 55/2013 में दिनांक 05.03.2014 को अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकार किया तथा प्रकरण खारिज किया। प्रकरण में वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा कब्जा करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष प्रकरण दर्ज करवाया, जो दाण्डिक प्रकरण संख्या 166/2013 दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 21.03.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए शिवराम उर्फ सवाराम को दोषी माना तथा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए 5 हजार रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का मुचलका प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करवाया, उनमें से पॉवर ऑफ अटार्नी का झूठा होना तथा मौके पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नहीं होना साबित नहीं होता है। अब यह बिन्दु शेष रहता है कि क्या जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? यह अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर ही संभव होगा, जिस पर हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट खातेदार दर्ज है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 37/2014 बअनवान शांतिदेवी बनाम हर्षा रावल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.02.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही